उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल।

माननीय श्री जस्टिस आलोक कुमार वर्मा

6 जनवरी, 2022

प्रथम जमानत आवेदन संख्या 393/2020

के बीचः

हीरा सिंह. ...आवेदक

और

उत्तराखंड राज्य। ...प्रतिवादी

आवेदक के लिए वकीलः श्री आर.एस. सम्मल, विद्वान वकील।

प्रतिवादी के लिए वकीलः श्री टी.सी. अग्रवाल, विद्वान उप महाधिवक्ता।

माननीय आलोक कुमार वर्मा, जे.

यह जमानत आवेदन 2020 की एफआईआर नंबर 04 जिसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद अधिनियम, 1985 के रूप में संदर्भित) की धारा 8/20 के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन कपकोट, जिला बागेश्वर में पंजीकृत किया गया है के संबंध में नियमित जमानत देने के लिए दायर की गई है।

2. 24.01.2020 को, सूचनाकर्ता हरीश चंद्र जोशी, स्टेशन हाउस अधिकारी, अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गश्त ड्यूटी पर थे। लगभग 19.15 बजे उन्हें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार एक व्यक्ति गांव हर्षिला से बैग लेकर आ रहा था। उक्त जानकारी प्राप्त करने के बाद, आवेदक को पकड़ लिया गया। उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम और पता बताया। उसके अनुरोध पर, पुलिस के सर्किल अधिकारी को सूचित किया गया था। पुलिस की सर्किल ऑफिसर श्रीमती संगीता दोपहर 20.35 बजे मौके पर पहुंची। पुलिस के सर्किल अधिकारी के समक्ष आवेदक के बैग की तलाशी ली गई। बैग की तलाशी के दौरान 1.684 किलो चरस बरामद हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट 24.01.2020 को 23.45 बजे दर्ज की गई।

3. श्री आर.एस. सम्मल, आवेदक के लिए विद्वान वकील और श्री टी.सी. अग्रवाल, राज्य के लिए विद्वान उप महाधिवक्ता को सुना गया।

4. आवेदक के लिए विद्वान वकील श्री आर.एस. सम्मल ने कहा कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है; उसे इस मामले में फंसाया गया है; उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, अधिनियम, 1985 की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 24.01.20 से हिरासत में है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आवेदक के बैग से वाणिज्यिक मात्रा में अवैध चरस बरामद किया गया, जिससे अधिनियम, 1985 की धारा 50 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि बरामदगी की कार्यवाही पुलिस के सर्किल अधिकारी के समक्ष की गई थी।

6. अधिनियम, 1985 की प्रस्तावना से पता चलता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य मादक दवाओं से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना और मादक दवाओं और नशीले पदार्थों आदि से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े प्रावधान करना है।

7. अधिनियम, 1985 की धारा 2(xxiii a) और धारा 2(vii a) के संदर्भ में तैयार की गई तालिका के अनुसार, चरस की 100 ग्राम अल्प मात्रा है और एक किलो से अधिक वाणिज्यिक मात्रा (प्रविष्टि सं. 23) है।

8. वर्तमान मामले में आरोप वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में है। आवेदक के लिए विद्वान वकील के तर्कों के आलोक में, इस स्तर पर, अधिनियम, 1985 की धारा 50 और धारा 37 के प्रावधानों को नोटिस करना उचित लगता है। अधिनियम, 1985 की धारा 50 और धारा 37 के प्रावधान निम्नलिखित प्रभावों के हैं: –

> **"50. जिन शर्तों के तहत व्यक्तियों की खोज की जाएगी –** (1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना अनावश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।
>
> (2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।
>
> (3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए।
>
> (4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी ।
>
> (5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में की किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या

मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 में उपबंधित है।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात् उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा।

"धारा 37 एनडीपीएस एक्ट अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होनाः– (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा,

(ख) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब तक किः–

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के संबंध में ये परिसीमाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं ।

9. **मेघ सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2004 (1) सीसीएससी 337** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि धारा 50 के अवलोकन से दर्शित है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होता है। यह किसी वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक विस्तारित नहीं होता है।

10. **मखन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2015 (4) CCSC 1790** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि अधिनियम, 1985 की धारा 50 का अनुपालन केवल अभियुक्तों की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में होगा और कुछ सामान जैसे बैग, लेख या कंटेनर आदि के मामले में नहीं, जिसे आरोपी ले जा सकता है की तलाशी ली जानी चाहिए।

11. जमानत देने के सामान्य सिद्धांत अधिनियम, 1985 से जुड़े मामले में लागू नहीं होते हैं। एक बार जब लोक अभियोजक प्रगणित अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन का विरोध करता है, और अदालत ऐसे व्यक्ति को जमानत देने का प्रस्ताव करती है, तो आपराधिक प्रक्रिया, 1973 या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामान्य आवश्यकताओं के अलावा मामले में दो शर्तों को अनिवार्य रूप से संतुष्ट किया जाना है। (i) न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति को उक्त अपराध का दोषी ना मानने के लिए उचित आधार हैं। **केरल राज्य बनाम राजेश और अन्य, AIR 2020 SC 721** में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने धारित किया है कि ''उचित आधार'' का अर्थ है प्रथम दृष्टया आधार से अधिक कुछ, और (ii) उस व्यक्ति को जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह विधायिका का जनादेश है जिसका पालन किया जाना आवश्यक है। नॉन–ऑब्स्टेंट क्लॉज जिसके साथ यह धारा शुरू होती है, उसे इसका उचित अर्थ दिया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से यह जमानत देने के लिए शक्तियों को प्रतिबंधित करने का इरादा है। बाजार में ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के मामलों की बाढ़ से आने वाले खतरों की जांच करने के लिए, संसद ने यह प्रावधान किया है कि अधिनियम के तहत अपराधों के आरोपी व्यक्ति को मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए, जबतक कि अधिनियम, 1985 की धारा 37 के तहत प्रदान की गई अनिवार्य शर्तें संतुष्ट नहीं हैं।

12. **राज्य बनाम सैयद आमिर हसनैन, (2002) 10 एससीसी 88** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है, ''इस न्यायालय के दो निर्णयों **भारत संघ बनाम राम समुझ, (1999) 9 एससीसी 382** और **भारत संघ बनाम अहरवा दीन, (2000) 9 एससीसी 382** के आलोक में उच्च न्यायालय भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों से बाध्य होगा और आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी करने का हकदार नहीं होगा जबतक कि धारा 37 के प्रावधान संतुष्ट नहीं हैं।''

13. **म.प्र. राज्य बनाम कजाद, (2001) 7 एससीसी 673** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि जमानत का निषेध नियम है और इसका दिया जाना अधिनियम, 1985 की धारा 37 (1) के खंड (बी) के तहत एक अपवाद है।

14. **केरला राज्य बनाम राजेश (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत के मामले में उदार दृष्टिकोण अनावश्यक है।

15. **अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी) और एक अन्य, 2018 (1) सीसीएससी 117** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि गंभीर अपराधों में केवल यह तथ्य कि अभियुक्त एक वर्ष से अधिक समय तक हिरासत में है, जमानत पर आरोपी को रिहा करने के लिए एक प्रासंगिक विचार नहीं हो सकता है।

16. जमानत आवेदन पर विचार करने के चरण में, साक्ष्य की एक विस्तृत परीक्षा और मामले की योग्यता का विस्तृत दस्तावेज नहीं किया जाना है। प्रत्येक विशेष मामले के

तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा अनुदान या इन्कार को काफी हद तक विनियमित किया जाता है।

17. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनिवार्य शर्तें, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संतुष्ट हो गई हैं इस स्तर पर गहराई से सबूतों पर चर्चा करना अनुचित होगा क्योंकि इससे विचारण न्यायालय का प्रभावित होना संभव है। लेकिन, जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के अवलोकन से, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आवेदक इस अपराध में शामिल था। आवेदक को फंसाने का कोई कारण नहीं पाया गया है। इसलिए, इस स्तर पर आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं है। जमानत आवेदन निरस्त होने योग्य है। तद्नुसार जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत आवेदन के बारे में की गईं टिप्पणियां इस स्तर पर पार्टियों द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों के आलोक में जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं के संबंध में सीमित है तथा उक्त की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं और उक्त अवलोकन मामले के विचारण को प्रभावित नहीं करेंगे।

———————————————————

आलोक कुमार वर्मा, जे.

दि0 6 जनवरी, 2022
नेहा